

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2020-आश्विन 3, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्र.-153-एफ-01-177-2020-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पृथ्वीपुर, जिला नीवाड़ी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 07, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12, अमर सिंह राठौर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 04, हरदौल वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 05, रामराजा वार्ड
2	अनुसूचित जगजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 14, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08, सुभाष वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 10, डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 01, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 05, रामराजा वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12, अमर सिंह राठौर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 08, सुभाष वार्ड
			(2) वार्ड क्रमांक 01, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 13, संजय गांधी वार्ड
			(2) वार्ड क्रमांक 15, राजीव गांधी वार्ड
			(3) वार्ड क्रमांक 02, नेहरू वार्ड
			(4) वार्ड क्रमांक 11, शिवाजी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्र. एफ-01-177-2020-अटारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 153 एफ-01-177-2020-अटारह-3, दिनांक 25 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2020

NO-. 153 F-1-105-2020-XVIII-3.- In exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of Wards for Schedule Cast, Schedule Tribe, Other Backward Classes & Women) of Rule, 1994 the Reservation of Ward for Nagar Parishad Prathvipur, Distt. Niwari published as follows :-

S.No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	2	3	4
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	04	(1) Ward No. 07, Dr. Bheemrao Ambedkar ward (2) Ward No. 12, Amar Singh Rathor ward (3) Ward No. 04, Hardol ward (4) Ward No. 05, Ramraja ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 14, Lal Bahadur Shastri ward (2) Ward No. 08, Subhash ward (3) Ward No. 10, Dr. Rammanohar lohiya ward (4) Ward No. 01, Chandrashekhar azad ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 05, Ramraja ward (2) Ward No. 12, Amar Singh Rathor ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 08, Subhash ward (2) Ward No. 01, Chandrashekhar azad ward

7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	04	(1) Ward No. 13, Sanjay Gandhi ward (2) Ward No. 15, Rajiv Gandhi ward (3) Ward No. 02, Nehru ward (4) Ward No. 11, Shivaji ward
---	---	----	---

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्र.-152-एफ-01-178-2020-अटारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् नीवाड़ी, जिला नीवाड़ी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	(1) वार्ड क्रमांक 10, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 06, अहिल्या बाई वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 04, नेहरू वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 01, शक्ति वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 02, महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 05, भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 09, छोटा बाजार वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 03, सुभाष वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 11, रामराजा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 01, शक्ति वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 02, महात्मा गांधी वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 04, नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 09, छोटा बाजार वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05, भगत सिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 07, चन्द्रशेखर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 13, शास्त्री वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 12, शिवाजी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्र. एफ-01-178-2020-अटारह-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 152 एफ-01-178-2020-अटारह-3, दिनांक 25 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2020

No- 152 F-01-178-2020-XVIII-3.- In exercise of the power Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of Wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule, 1994, the Reservation of Ward for Nagar Parishad Niwari, Distt. Niwari published as follows :-

S.No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	2	3	4
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	05	(1) Ward No. 10, Ambedkar ward (2) Ward No. 06, Ahilya bai ward (3) Ward No. 04, Nehru ward (4) Ward No. 01, Shakti ward (5) Ward No. 02, Mahatma Gandhi ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 05, Bhagat Singh ward (2) Ward No. 09, Chhota bazar ward (3) Ward No. 03, Subhash ward (4) Ward No. 11, Ramraja ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	03	(1) Ward No. 01, Shakti ward (2) Ward No. 02, Mahatma Gandhi ward (3) Ward No. 04, Nehru ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 09, Chhota bazar ward (2) Ward No. 05, Bhagat Singh ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	03	(1) Ward No. 07, Chandrashekhar ward (2) Ward No. 13, Shastri ward (3) Ward No. 12, Shivaji ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्र.-155-एफ-01-179-2020-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् तरीचेरकलां, जिला नीवाड़ी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	(1) वार्ड क्रमांक 04, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05, संत रविदास वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 13, जगजीवन वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 12, इंदिरा गांधी वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 14, सागर सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 02, चन्द्रशेखर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08, अम्बेडकर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 09, शास्त्री वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 10, सरदार पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 04, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 05, संत रविदास वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 13, जगजीवन वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 08, अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 09, शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 15, भगत सिंह वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 01, संत कबीर वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 07, महात्मा गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्र. एफ-01-179-2020-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 155 एफ-01-179-2020-अठारह-3, दिनांक 25 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2020

No- 155 F-01-179-2020-XVIII-3.- In exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of Wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule, 1994, the Reservation of Ward for Nagar Parishad Taricher kalan, Distt. Niwari published as follows :-

S.No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	2	3	4
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	05	(1) Ward No. 04, Subhash ward (2) Ward No. 05, Sant Ravidas ward (3) Ward No. 13, Jagjeevan ward (4) Ward No. 12, Indira Gandhi ward (5) Ward No. 14, Sagar Singh ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	Nil	Nil
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 02, Chandrashekhar ward (2) Ward No. 08, Ambedkar ward (3) Ward No. 09, Shastri ward (4) Ward No. 10, Sardar Patel ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	03	(1) Ward No. 04, Subhash ward (2) Ward No. 05, Sant Ravidas ward (3) Ward No. 13, Jagjeevan ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 08, Ambedkar ward (2) Ward No. 09, Shastri ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	03	(1) Ward No. 15, Bhagat Singh ward (2) Ward No. 01, Sant Kabeer ward (3) Ward No. 07, Mahatma Gandhi ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्र.-154-एफ-01-180-2020-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् जेरोन खालसा, जिला नीवाड़ी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

स.क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 15, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 08, आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 14, भगत सिंह वार्ड

3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रमांक 12, शास्त्री वार्ड
			(2) वार्ड क्रमांक 13, खेरापति वार्ड
			(3) वार्ड क्रमांक 02, नरसिंह वार्ड
			(4) वार्ड क्रमांक 07, सुभाष वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रमांक 15, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 02, नरसिंह वार्ड
			(2) वार्ड क्रमांक 07, सुभाष वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्रमांक 09, इंदिरा गांधी वार्ड
			(2) वार्ड क्रमांक 11, गांधी वार्ड
			(3) वार्ड क्रमांक 04, अजय पार वार्ड
			(4) वार्ड क्रमांक 05, मुखर्जी वार्ड
			(5) वार्ड क्रमांक 03, विवेकानन्द वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2020

क्र. एफ-01-180-2020-अटारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 154 एफ-01-180-2020-अटारह-3, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 25th September 2020

NO- 154 F-01-180-2020-XVIII-3.- In exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of Wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes & Women) of Rule, 1994, the Reservation of Wards for Nagar Parishad Jeron, Distt. Niwari published as follows :-

S.No.	Reserved Wards for Category	Total Wards	Reserved Ward's Name and Number
1	2	3	4
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 15, Dr. Ambedkar ward (2) Ward No. 08, Azad ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 14, Bhagat singh ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 12, Shastri ward (2) Ward No. 13, Kherapati ward (3) Ward No. 02, Narsingh ward (4) Ward No. 07, Subhash ward

4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 15, Dr. Ambedkar ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 02, Narsingh ward (2) Ward No. 07, Subhash ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	05	(1) Ward No. 09, Indira Gandhi ward (2) Ward No. 11, Gandhi ward (3) Ward No. 04, Ajay Par ward (4) Ward No. 05, Mukharji ward (5) Ward No. 03, Vivekanand ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.